

**कार्यालय प्राचार्य, उदय प्रसाद उदय शासकीय पॉलीटेक्निक
दुर्ग, छ.ग. (491001)**

निःशक्तजन प्रशिक्षण परियोजना

कमांक / शापोदु / पीडब्लूडी / 2018 / 1767

दुर्ग, दिनांक 09.07.2018


विज्ञापन

**निःशक्तजन छात्रों का नियमित डिप्लोमा पाठ्यक्रम के
प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश सूचना सत्र 2018-2019**

मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली भारत सरकार द्वारा निःशक्तजन प्रशिक्षण परियोजना के अन्तर्गत उ.प्र.उ. शासकीय पॉलीटेक्निक, दुर्ग में सत्र 2018-19 में त्रिवर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम की निम्नलिखित ब्रांच में प्रवेश हेतु पोलियोग्रस्त अथवा अस्थितबाधित (आर्थोपेडिकली हैंडीकेप्ड) निःशक्तजन छात्र/छात्राएं अपना निःशक्तता दर्शाने वाला प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर निःशुल्क आवेदन पत्र संस्था के कार्यालय से कार्यालयीन समय में प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन-पत्र प्राप्त करने एवं भरकर वापस कार्यालय में जमा करने की अन्तिम तिथि 25 जुलाई 2018 निर्धारित की गई है। निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन निरस्त कर दिया जावेगा। आवेदक की आयु 01 जुलाई 2018 की स्थिति में 33 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। कुल 25 सीटों में से 03 सीट अनुसूचित जाति, 08 सीट अनुसूचित जनजाति, 04 सीट ओबीसी (कीमीलेयर को छोड़कर) तथा शेष 10 सीट अनारक्षित वर्ग के लिए आरक्षित है। जाति के आधार पर आरक्षण का लाभ लेने वाले उम्मीदवार का छ.ग. स्थाई जाति प्रमाण-पत्र होना अनिवार्य है, अन्यथा प्रवेश हेतु इस प्रवर्ग का लाभ नहीं मिलेगा (उक्त सीटें पीपीटी के मेरिट के आधार पर नहीं भरी जाएगी)। उक्त सीटें 10वीं के प्रस्तांको के आधार पर भरी जाएगी। इस पाठ्यक्रम हेतु पृथक से आवेदन करना अनिवार्य है। काउंसिलिंग हेतु आवेदित छात्र/छात्राएँ दिनांक 28.07.2018 को दोपहर 01.00 बजे तक अपने समस्त मूल दस्तावेज तथा एक फोटो कापी के साथ संस्था में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहें। ब्रांचवार रिक्त सीटों का विवरण निम्नानुसार है :-

| स.क. | डिप्लोमा पाठ्यक्रम का नाम | सीटों की संख्या | शैक्षणिक अर्हता |
|------|--|-----------------|--|
| 1 | आधुनिक कार्यालय प्रबंध (मार्डन आफिस मैनेजमेंट) | 3 | माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर छ.ग. के (10+2) शिक्षा प्रणाली के अन्तर्गत 12वीं परीक्षा या अन्य मान्यता प्राप्त बोर्ड के समकक्ष परीक्षा किसी भी विषय समूह में उत्तीर्ण करना आवश्यक है। (सैद्धांतिक विषयों के अंकों के आधार पर चयन किया जाएगा) |
| 2 | सिविल इंजीनियरिंग | 3 | छ.ग. माध्यमिक शिक्षा मण्डल की 10वीं परीक्षा अथवा अन्य मान्यता प्राप्त बोर्ड के समकक्ष परीक्षा (हाईस्कूल परीक्षा गणित एवं विज्ञान विषय के साथ) केवल उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। गणित एवं विज्ञान विषय में पृथक-पृथक उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। |
| 3 | यांत्रिकी इंजीनियरिंग | 3 | |
| 4 | विद्युत इंजीनियरिंग | 3 | |
| 5 | इलेक्ट्रॉनिक्स एवं टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग | 3 | |
| 6 | कम्प्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग | 4 | |
| 7 | इन्फरमेशन टेक्नॉलाजी | 3 | |
| 8 | धातुकर्म (मेटलर्जी) इंजीनियरिंग | 3 | |
| | योग | 25 | |

टीप :- अधिक जानकारी तथा प्रवेश फार्म हेतु कृपया संस्था के वेबसाइट www.polydurg.ac.in का अवलोकन करें।


प्राचार्य

उ.प्र.उ. शासकीय पॉलीटेक्निक, दुर्ग

प्रवेश हेतु पात्रता एवं शर्तें (डिप्लोमा इंजीनियरिंग के लिए) :-

1. पॉलीटेक्निक में प्रवेश के लिए छ.ग. माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर के अन्तर्गत 10वीं कक्षा की परीक्षा अथवा किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड द्वारा संचालित अन्य समकक्ष परीक्षा (हाई स्कूल परीक्षा गणित एवं विज्ञान विषय के साथ) सामान्य वर्ग के लिए कम से कम 35 प्रतिशत प्राप्तांकों के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं निःशक्तता से बाधित के लिए केवल उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। उत्तीर्ण होने का प्रमाण प्रस्तुत करना अभ्यर्थी का उत्तरदायित्व होगा। 10वीं कक्षा की परीक्षा गणित एवं विज्ञान विषय में पृथक-पृथक उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। ग्रेस अंक से उत्तीर्ण मान्य होगा, परन्तु ग्रेस के अंक नहीं जोड़े जाएंगे।
मार्डन आफिस मैनेजमेंट हेतु :- सैद्धांतिक विषयों के अंकों के आधार पर चयन किया जाएगा।

2. काउंसिलिंग के समय अभ्यर्थी भी 10वीं उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। 10वीं अनुत्तीर्ण या पूरक के अभ्यर्थी काउंसिलिंग के पात्र नहीं होंगे। तथापि संबंधित बोर्ड के नियमानुसार कृपांक से उत्तीर्ण अभ्यर्थी प्रवेश हेतु पात्र होंगे परन्तु ग्रेस के अंक नहीं जोड़े जाएंगे।

3. **आरक्षण** - प्रवेश हेतु छ.ग. के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमी लेयर को छाड़कर) प्रवर्गों के लिए क्रमशः 12,32,14 प्रतिशत सीटों का आरक्षण का प्रावधान किया गया है, शेष 42 प्रतिशत सीटें अनारक्षित रहेंगी।

आयुसीमा :-

डिप्लोमा स्तर पर प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु दिनांक 01.07.2018 को छ.ग. के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग / निःशक्तता से बाधित विद्यार्थियों / महिला आवेदकों के लिए अधिकतम आयुसीमा 33 वर्ष निर्धारित किया गया है।

आवश्यक प्रमाण-पत्र :-

1. अर्हकारी परीक्षा की अंकसूची ।
2. विकलांगता का मेडिकल बोर्ड का प्रमाण-पत्र न्यूनतम 40 प्रतिशत।
3. अधीक्षक, भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, निःशक्तजन हेतु व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र, दाना गोदाम, मोटर स्टेन्ड, नेपियर टाउन, जबलपुर द्वारा जारी इस आशय का पात्रता प्रमाण-पत्र कि वह सम्बन्धित पाठ्यक्रम के लिए उपयुक्त है, प्रस्तुत करना होगा।
4. छ.ग. निवासी प्रमाण-पत्र ।

योजना के तहत दी जाने वाली सुविधाएँ :-

1. छात्रवृत्ति रु 250-00 प्रतिमाह ।
2. यात्रा भत्ता रु 200-00 प्रतिमाह ।
3. छात्रावास शुल्क रु 1000-00 प्रतिमाह (यदि छात्रावास में निवास कर रहा हो तो)
4. पुस्तक एवं युनिफार्म भत्ता रु 3000-00 प्रति वर्ष ।


0

विशेष टीप :-

इस परियोजना के माध्यम से प्रवेश प्राप्त करने वाले निःशक्तजन छात्र/छात्रा को इस संस्था में वितरित किए जा रहे निःशुल्क आवेदन-पत्र ही भरकर प्रवेश प्राप्त करना अनिवार्य होगा । जो छात्र/छात्रा (पीपीटी- व्यापम, रायपुर) के माध्यम से फार्म भरे हुए हैं यदि वे भी इस योजना के अन्तर्गत प्रवेश लेना चाहते हैं तो इस संस्था से निःशुल्क फार्म प्राप्त कर सकते हैं । छात्र /छात्रा दिनांक 28 जुलाई 2018 को प्रवेश/ काउंसिलिंग हेतु इस संस्था में प्रातः 11.00 बजे कक्ष क्रमांक - 38 में उपस्थित हो सकते हैं ।

प्राचार्य

उ.प्र.उ. शासकीय पॉलीटेक्निक,दुर्ग

 दूरभाष - 0788. 2323548

मार्डन आफिस मैनेजमेंट पाठ्यक्रम के लिए :-

(अ) अर्हकारी परीक्षा के थ्योरी में कुल पूर्णांक ----- कुल प्राप्तांक----- प्रतिशत -----

(ब) अर्हकारी परीक्षा के समस्त विषयों में कुल पूर्णांक ----- कुल प्राप्तांक----- प्रतिशत-----

11. क्या आप छ.ग. के वास्तविक निवासी हैं हाँ ----- नहीं -----

12. निम्न तालिका में उम्मीदवार अपने पिछले पांच वर्षों के अध्ययन की जानकारी देवें :-

| क्र. | वर्ष | शिक्षण संस्था का नाम | शहर | राज्य | कक्षा | विषय | परीक्षा | परिणाम |
|------|------|----------------------|-----|-------|-------|------|---------|--------|
| 1 | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |

प्रमाण-पत्र

मुझे यह स्वीकार है कि मेरे द्वारा गलत जानकारी प्रस्तुत करने अथवा आवश्यक महत्वपूर्ण तथ्य छुपाने के फलस्वरूप यदि मैं किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश पाने में सफल हो जाता/जाती हूँ अथवा बाद में किसी समय यह पाया जाता है कि मुझे किसी त्रुटिवश प्रवेश दिया गया है तो मेरा प्रवेश तत्काल प्रभाव से बिना किसी सूचना के मेरे अध्ययन काल के दौरान ही किसी भी समय निरस्त किया जा सकेगा।

दिनांक :----- पिता/अभिभावक के हस्ताक्षर----- आवेदक के हस्ताक्षर-----

आदेदन-पत्र के साथ निम्नांकित प्रमाण-पत्रों की छायाप्रति संलग्न करें:-

1. अर्हकारी परीक्षा की बोर्ड/विश्वविद्यालय द्वारा जारी प्रमाण-पत्र।
2. छ.ग. के स्थानीय वास्तविक निवासी संबंधी निर्धारित प्रारूप में प्रमाण-पत्र।
3. आरक्षित श्रेणी के अन्तर्गत प्रवेश हेतु निर्धारित प्रारूप में प्रमाण-पत्र।
4. निःशक्ता दर्शाते हुए जिला चिकित्सा मण्डल का प्रमाण-पत्र।
5. अधीक्षक, भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, निःशक्तजन हेतु व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र, दाना गोदाम, मोटर स्टेण्ड, नेपियर टाउन, जबलपुर द्वारा जारी इस आवश्यक का पात्रता प्रमाण-पत्र कि वह सम्बन्धित पाठ्यक्रम के लिए उपयुक्त है, प्रस्तुत करना होगा।